न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–273/2026
खगड़िया थाना काण्ड सं0–1227/23
सुभाष रत्न – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

16.03.2026

आवेदक/अभियुक्त–**सुभाष रत्न** की ओर से खगड़िया थाना काण्ड सं0–1227/23, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 427/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री बिकास कुमार सिंह की ओर से संचालित किया गया।

सूचक की ओर से नवीन वकालतनामा एवं हाजिरी दी गयी। पुकार पर सूचक के विद्वान् अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से दाखिल अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह सिविल कोर्ट, खगड़िया में वकालत का कार्य करते हैं और पिछले 11 वर्षों से जिला बार एशोसिएशन, खगड़िया का सदस्य हैं, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा और साख है। आवेदक को दुर्भावना, द्वेष, दुश्मनी, जमीनी विवाद एवं गलत तरीके से इस मामले में संलिप्त किया गया है। पूरा अभियोजन वाद झूठ एवं बनावटी है तथा सत्य से परे है। भा0द0वि0 की धारा–467, 468 को छोड़कर अन्य शेष धाराएं जमानतीय हैं तथा आवेदक पर लगाये गये आरोप और कहानी प्रथम दृष्टया झूठी और बाद में गढ़ी गयी है। इस मामले में जाँच अधिकारी ने आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को झूठा पाकर आरोप–पत्र समर्पित किया है, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है। मामला पूरी तरह से दिवानी वाद से संबंधित है। पूर्व में सह–अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–273/2026

खगड़िया थाना काण्ड सं0–1227/23

आपराधिक विविध सं0–48813/25, दिनांक 30.07.2025 एवं आपराधिक विविध सं0–43935/25, दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है तथा आवेदक यह मामला उससे बेहत्तर प्रकृति का है। आवेदक धारा–438(2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया, साथ–ही–साथ सूचक के विद्वान् अधिवक्ता श्री महेन्द्र मोहन चौधरी के द्वारा भी अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

सूचक के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 1. धनन्जय प्रसाद चौधरी, 2. मृत्यंजय प्रसाद चौधरी, 3. गौरीशंकर चौधरी, 4. कुमुद कुमार चौधरी, 5. मसो0 शारदा देवी, 6. मसो0–नर्मदा देवी, 7. नीवन कुमार, 8. रूपेश कुमार, 9. रिंकु देवी, 10. नीतिन कुमार, **11. सुभाष रत्न**, 12. सिकन्दर यादव आलेख प्रारूपकर्त्ता, सदर निबंधक कार्यालय, खगड़िया एवं 13. नवीन कुमार अवर निबंधक, खगड़िया सदर। क्रम सं0–1 से 6 तक विक्रेता है तथा **क्रम सं0–7 से 11 सभी क्रेतागण हैं।** क्रम सं0–12 प्रारूपकर्त्ता हैं। क्रम सं0–13 अवर निबंधक, खगड़िया हैं। दिनांक 17.11.2023 को निबंधित दस्तावेज सं0– 7301 तथा 7302 के द्वारा निबंधित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है– मौजा–राको, थाना–269, तौजी–6965, खाता–255, खेसरा–1154 अराजी 0–7–8, 0–7–8 कुल–0–14–16, जमाबंदी–46 वर्णित है। वर्णित दस्तावेज पर जमाबंदी सं0–46 जगदीश महतों दर्शाया गया है, जो कभी प्रभा0 में न था और वर्तमान में भी प्रभाव में नहीं है, जो एक मात्र साजिश ही नहीं, अपितु निराधार है। केवला दस्तावेज का निष्पादन हेतु दर्ज किया गया है। क्रेता एवं विक्रेता व अन्य वर्णित अभयुक्तगण आर्थिक लालच, भ्रष्टाचार तथा तथा सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए यह कार्य किया गया है। अभियुक्त सं0–4 कुमुद चौधरी मोबाईल नं0–8538976105 तथा मोबाईल नं0–7004137582 तथा

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–273/2026
खगड़िया थाना काण्ड सं0–1227/23

लगातार
16.03.2026

8409440373 सम्पर्क के दौरान साजिश रचते हुए निबंधित दस्तावेज तैयार किया गया है। दोनों दस्तावेज पर अंकित सभी तथ्य केवल और केवल भ्रामक ही नहीं अपितु जालसाज और दिशाहीन तथा बिल्कुल ही झूठा है। वर्णित जमीन मुझे पूर्वजों से प्राप्त भूमि है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–मौजा रांको, थाना–269, तौजी–6965, खाता–255, खेसरा–1154 अराजी 1–2–4, जमाबंदी–46, जमाबंदी रैयत–चन्दर प्रसाद सिंह, जो वर्ष–1910 को मसो0 यशोदा कुमारी वो गोपाल चौधरी के द्वारा गोपाल चौधरी सिंह वो तिलकधारी सिंह ने मो0–445 रूप्ये में खरीदा गया था, जो मुझे बंटवारे में प्राप्त है। जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात भी हमारे पास उपलबध है तथा सरकारी लगान में नियमित आज तक भुगतान करता आ रहा हूँ। अभियुक्त सं0–4 के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ विविध वाद सं0–01/19–20 लाया गया था, जिस पर त्तकालीन भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खगड़िया के द्वारा कानून का हवाला देते हुए निदेश भी दिया गया था, जिसको न कि छिपाते हुए, बल्कि निर्देशों का पालन न कर दस्तावेज सं0–7301 और 7302 तैयार कर दिया गया, जो सरकारी आदेश और कानून का उल्लंघन है। मेरा दावा है कि वर्णित सभी अभियुक्त के द्वारा गलत दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लालच में निबंधन कराया गया है तथा मुझे अपने पैतृक जमीन पर से वेदखल करने की साजिश रची गयी है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों पर समान आशय से गलत दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लालच में निबंधन कराने तथा पैतृक जमीन पर से बेदखल करने की साजिश रचने का गम्भीर आरोप है। प्रस्तुत मामले में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए प्रथम दृष्टया मामला पाकर विद्वान् मुख्य न्या0 दण्डा0, खगड़िया के द्वारा पारित आदेश दिनांक–

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–273/2026
खगड़िया थाना काण्ड सं0–1227/23

लगातार
16.03.2026

दिनांक 26.09.2024/04.12.2024 के आलोक में अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 427/34 भा0दं0वि0 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक इस काण्ड का नामित अभियुक्त है तथा कथित अपराध में आवेदक अभियुक्त की भी संलिप्तता प्रतीत होती है, ऐसी दशा में उसे अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	16.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nitish Kumar (D.C.O)